# न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **प्रभा गौतम,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 32/2025 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 08.04.2025
G.C.M.S. NO. :- 2025/32

कालु पिता नारायण जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी भागल, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

सरकार जरिये उप तहसीलदार, भादसोड़ा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उप तहसीलदार भादसोड़ा प्रकरण संख्या 698/2022 निर्णय दिनांक 11.03.2025**

उपस्थितिः–1– श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

**निर्णय**

**दिनांक 10.11.2025**

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवार हल्का पोटलाकलां की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का मौजा भागल की आराजी नम्बर 101 रकबा 3.16 हैक्टेयर में से रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि पर नाजायज कब्जा मानते हुए राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 12.12.2022 को अपीलांट के विरूद्ध बेदखली एवं पेनल्टी लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने के आदेश पारित किये जिसकी अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में करने पर प्रकरण संख्या 216/2022 (रा.अ.) दर्ज कर दिनांक 21.08.2024 को अपील

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

| प्र. सं. 32/2025 (रा. अ.) |
|---|
| कालु पिता नारायण जाट निवासी भागल, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम सरकार जरिये उप तहसीलदार, भादसोड़ा |

अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 निरस्त करते हुए अपीलांट को साक्ष्य, सबूत पेश करने व सुनवाई का अवसर दिया जाकर नए सिरे से विधि-सम्मत् निर्णय पारित करने के निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। जिस पर पुनः अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को विवादित आराजीयात से बेदखल करने का निर्णय व आदेश दिनांक 11.03.2025 को पारित किया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.03.2025 निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। उप तहसीलदार, भादसोड़ा से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील भदेसर के मौजा भागल पटवार हल्का पोटलाकलां की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम भागल की नवीन आराजी नम्बर 101 रकबा 3.16 हैक्टेयर में से रकबा 0.06 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट द्वारा पक्की दीवार बना टीनशेड़ डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत होने पर अपीलांट के विरूद्ध बेदखली व लगान का 50 गुणा शास्ति का आदेश दिनांक 12.12.2022, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित करने पर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण संख्या 216/2022 (रा.अ.) दर्ज होकर निर्णय दिनांक 21.08.2024 से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि अपीलांट को साक्ष्य, सबूत व सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित करे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिए अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलांट को बगैर सुने विवादित आराजीयात से बेदखल किये जाने का पुनः आदेश पारित कर दिया जो विधि-विरूद्ध होकर निरस्त योग्य है। नवीन आराजी नम्बर 101 के साबिक आराजी नम्बर 62/9, 62/10, 62/11 व 62/12 दर्ज रेकार्ड होकर बिलानाम आराजी रही है जो आबादी से लगी होकर बाडे के रूप में अपीलांट व अपीलांट के पिता नारायण को अलग-अलग मिसल नम्बरों से दिनांक 13.08.1998 को आवंटन हुई है जिसको अपीलांट बाडे बनाकर अपीलांट के पिता के स्वर्गवास के पश्चात् दोनों बाडों पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

काबित होकर उपयोग-उपभोग करता चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने सक्षम न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 03/2023 प्रार्थना पत्र की प्रति पेश की जिसे भी नजरअन्दाज कर अपीलांट को विवादित आराजीयात से बेदखल करने का निर्णय पारित किया है जो अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। भू प्रबन्ध के अधिकारियों ने विवादित आराजीयात को बिना किसी सक्षम आदेश के नवीन आराजी संख्या 101 रकबा 3.16 हैक्टेयर कायम कर महफुज चरनोट दर्ज कर दी जिसके इन्द्राज दुरूस्ती का प्रकरण अलग से उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के न्यायालय में दर्ज होकर विचाराधीन है। अतः अपीलांट का कब्जा अवैध नहीं होकर वैध कब्जा है तथा बाडे के रूप में काबिज हो उपयोग-उपभोग कर रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का बदेखल करने का पारित आदेश दिनांक 11.03.2025 निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय चरनोट भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। न्यायालय हाजा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को, अपीलांट को साक्ष्य, सबूत पेश करने एवं सुनवाई का अवसर दिए जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया है तथा अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य, सबूत पेश करने व सुनवाई हेतु उपस्थित हुआ है साक्ष्य स्वरूप अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं पर अपीलांट के हस्ताक्षर मौजूद है।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.12.2024 को पुनः प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को साक्ष्य, सबूत पेश करने व सुनवाई हेतु दिनांक 2312.2024, 02.01.2025, 15.01.2025, 31.01.2025, 14.02.2025, 28.02.2025 एवं 11.03.2025 पर अवसर प्रदान किए। अतः अपीलांट का कथन की अधीनस्थ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय ने पुनः प्रकरण दर्ज करने के पश्चात् अपीलांट को बगैर सुनवाई का अवसर दिए निर्णय पारित कर दिया मानने योग्य नहीं है।

पटवार हल्का पोट्लाकलां की रिपोर्ट अनुसार मौजा भागल की विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 101 कुल रकबा 3.16 हैक्टेयर किस्म चरनोट भूमि है जिसमें से रकबा 0.06 हैक्टैयर पर अपीलांट ने नाजायाज कब्जा कर रखा है। यहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि भूमिधारी तहसीलदार को ऐसे नाजायज कब्जों को हटाने का अधिकार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त किया गया है जिससे भूमिधारी उप तहसीलदार, भादसोड़ा द्वारा की गई कार्यवाही पूर्ण रूप से विधि- सम्मत् होकर नियमों के परिप्रेक्ष्य में की गई है।

जहां तक अधिवक्ता अपीलांट का विवादित आराजीयात अपीलांट को आवंटित होकर खातेदारी की होकर गलत रूप से चारागाह दर्ज हो जाने से इन्द्राज दुरूस्ती का वादपत्र न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर के न्यायालय में विचाराधीन होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली एवं शास्ति का आदेश पारित करने का कथन है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत लम्बित कार्यवाहियां एक तरह की संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceedings) है जिन्हें बिना किसी ठोस/पर्याप्त कारण के बहुत अधिक लम्बे समय तक लम्बित रखा जाना उचित नहीं है। सक्षम न्यायालय द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती के प्रकरण में जो भी निर्णय पारित किया जावेगा उसके अनुरूप पृथक् से नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पटवारी हल्का पोट्लाकलां की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट का ग्राम भागल की आराजी नम्बर 101 रकबा 3.16 हैक्टेयर में से रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म चरनोट भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखल करने का पारित आदेश विधि सम्मत् होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। निष्कर्षतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.03.2025 यथावत रखा जाता है।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

**(प्रभा गौतम)**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official